

राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन

जी 3/1 ए, राजमहल होटल के पीछे, सिविल लाईन, जयपुर

क्रमांक : एफ 16(1)()नि.वि.यो./ASO/2014/

9826

जयपुर, दिनांक 30-10-14

जिला स्तरीय पुरस्कारों हेतु समिति का गठन

विशेष योग्यजन कल्याणार्थ राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस (3 दिसम्बर) पर पुरस्कार धारको को पुरस्कार दिये जाने हेतु जिला स्तर पर प्राप्त होने वाले प्रस्तावों की संवीक्षा एवं अनुशंसा, विभाग को भिजवाने हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय चयन समिति का गठन किया जाता है -

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | जिला कलक्टर या जिला कलक्टर द्वारा मनोनित अधिकारी जो अतिरिक्त कलक्टर के स्तर का हो | अध्यक्ष |
| 2 | जिला श्रम कल्याण अधिकारी | सदस्य |
| 3 | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | सदस्य |
| 4 | जिला स्तरीय उद्योग विभाग का अधिकारी | सदस्य |
| 5 | जिला स्तर पर विशेष योग्यजन की श्रेणी में कार्यरत श्रेष्ठ स्वयंसेवी संस्था (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत) | सदस्य |
| 6 | जिला रोजगार अधिकारी | सदस्य |
| 7 | जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग | सदस्य सचिव |

उक्त कमेटी के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

(सुदर्शन सेठी)

प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : एफ 16(1)()नि.वि.यो./ASO/2014/9827-1025

जयपुर, दिनांक 30/10/14

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
3. समस्त जिला कलक्टर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. प्रमुख शासन सचिव, श्रम कल्याण एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, नियोजन एवं रोजगार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सहायक, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
9. निजी सहायक, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।
10. समस्त विभागीय जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निदेशक

एवं संयुक्त शासन सचिव